न्यायालय लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(S D O) पीपाड़ शहर(जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी, दूदाराम R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 143/2020

प्रार्थीगण :–
भगवती पत्नि भंवरलाल
जाति नट निवासी रामड़ावास कलां
तहसील पीपाड़ शहर जिला
जोधपुर ।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. गरिमा पुत्री मूलाराम जाति जटिया निवासी राईका बाग जोधपुर
2. मांगीलाल पुत्र गोमाराम जाति नट निवासी रामड़ावास कलां तहसील पीपाड़ शहर
3. खंगारराम पुत्र सुजाराम
4. चोकाराम पुत्र सुजाराम
5. पांचाराम पुत्र सुजाराम
6. मांगीलाल पुत्र गोपाराम
7. लक्ष्मी पत्नि गोपाराम
8. विद्या पुत्री गोपाराम
9. शान्ति पुत्री गोपाराम
10. सेहनराम पुत्र सुजाराम
11. करनाराम पुत्र पूनाराम

सभी जातियान विश्नोई निवासीगण रामड़ावास कलां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

12. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री जेठाराम चौहान प्रार्थीया की ओर से
श्री ओमप्रकाश कच्छावाह अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक : 29.03.2022

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:– ग्राम जाटियावास तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा मे प्रार्थीया की कृषि भूमि खसरा नं. 437/223 रकबा 0.6917 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कृषि भूमि आई हुई है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीया का अभिलिखित खातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक के निर्बाध रूप से चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड मे तरमीम सुदा है। जिस पर प्रार्थीया का अभिलिखित खातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया की खरीदसुदा कब्जासुदा भूमि है। वादग्रस्त आराजी के प्रार्थीया अभिलिखित खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी संख्या एक व दो बदमाश प्रवृति के झगडालु व्यक्ति है। दिनांक 10.06.2020 को अप्रार्थी संख्या एक व दो अपने हितबद्ध लोगो को साथ लेकर आये एवं वादग्रस्त आराजी खसरा

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

नं. 437/223 रकबा 0.6917 हैक्टेयर मे अनाधिकृत रूप से प्रवेश करके ट्रेक्टर कराली की सहायता से वादग्रस्त भूमि के उत्तरी व दक्षिणी माठ खुर्द बुर्द कर बिखेरने लगे। प्रार्थीया द्वारा मना करने पर उक्त लोगो ने गाली गालोच करते हुए वादग्रस्त भूमि पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने का प्रयास किया है। अप्रार्थी संख्या एक व दो ने वादग्रस्त भूमि की दक्षिणी व उत्तरी माठ को खुर्द बुर्द कर दिया है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या एक व दो से समझाईस की एवं निवेदन किया कि नाप चौप करके सीमा कायम की हुई है आप लोगो को वादग्रस्त भूमि की उत्तरी माठ खुर्द बुर्द नही करे जिस पर अप्रार्थी संख्या एक व दो प्रार्थीया से अत्यधिक नाराज हो गये एवं ऐलानिया धमकी दी कि मौका मिलते ही बिना नाप चौप करवाये ही वादग्रस्त आराजी की उत्तरी व दक्षिणी माठ को खुर्द बुर्द करके वादग्रस्त आराजी पर कब्जा करके रहेंगे एवं प्रार्थीया को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करके रहेंगे। प्रार्थीया वादग्रस्त की सुरक्षा हेतु वादग्रस्त आराजी के चारो तरफ मुटाम कायम करवाकर दिवार/तारबंदी करवाना चाहती है। वादग्रस्त आराजी का नाप चौप किया जाकर सीमा कायम की जाकर पत्थरगढी/मुण्डागढी करवाई जानी अतिआवश्यक व लाजमी है जिससे भविष्य मे कोई विवाद उत्पन्न नही हो। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम जाटियावास की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 437/223 रकबा 0.6917 हैक्टयर भूमि का नाप चौप किया जाकर पत्थरगढ़ी/मुण्डागढ़ी करने का आदेश तहसीलदार पीपाड़ शहर को फरमाने का निवेदन किया है ।

वकील प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थीगण सं. 1 से 12 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए, वकील अप्रार्थीगण सं. 1 की ओर से वकील ओमप्रकाश कच्छावाह ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, वकील अप्रार्थी जवाब पेश नही करना चाहते है, कथन किया है कि खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की जाती है तो हमे कोई आपत्ति नही है । अप्रार्थी सं. 2 से 11 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होने पर भी अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्धएकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गयी । वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है ग्राम जाटियावास में स्थित वादग्रस्त खसरा नम्बर 437/223 रकबा 0.6917 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम भूमि का नाप चौप किया जाकर पत्थरगढ़ी/मुण्डागढ़ी करवाने का आदेश तहसीलदार पीपाड़ शहर को फरमाने का निवदेन किया है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार है इसलिए वादग्रस्त आराजी का नाप चौप व सीमाकंन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाया

29/3/22
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

जाना न्यायसंगत है । हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन अवलोकन किया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है ।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त एतदद्वारा तहसीलदार पीपाड शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम जाटियावास के खसरा नम्बर 437/223 रकबा 0.6917 हैक्टयर भूमि का राजस्व टीम गठित कर सीमा चिन्ह कायम कर कर रूबरू पक्षकारान के मुटाम स्थापित करते हुए पत्थरगढ़ी करावें । इस बाबत नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण राजकोष जमा करायेगे । इस आशय की तहरीर जारी हो बाद पैमाईश पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज खुले न्यायालय लिखवाया जाकर दिनांक 29.03.2022 सुनाया गया ।

([illegible])
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(SDO)
पीपाड शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)